CHHATTISGARH

JUDICIAL SERVICE

EXAMINATION (MAINS) 2016

Time : 3 hrs. **Marks : 100**

Instructions -

This paper consists of three questions. Question No. 3 contains two translations. Attempt all questions.

Q1. Read the following carefully and write judgement after framing necessary issues: [40]

One trader, Alok Jain gave a loan of Rs. 20,000/- to Sohanlal Gupta on 1.1.2012 at Raipur. In return, Sohanlal Gupta executed a promissory note. Alok Jain is residing in Raipur and Sohanlal Gupta is residing in Bilaspur. When Alon Jain demanded the money by writing a letter on 1.10.2014. Sohanlal Gupta gave a reply assuring Alok Jain that the amount in question will be paid by him within a period of two years as presently he is having financial difficulties. Subsequently, Alok Jain filed a suit on 1.1.2016 for recovering the amount in the Civil Court at Raipur. Sohanlal Gupta took the plea that the Raipur Court has no territorial jurisdiction to decide the suit. Sohanlal Gupta filed his written statement raising the point that the suit is filed after a period of three years from the date of transaction and, therefore, it is time-barred. A plea was also taken in the written statement that he had not received any amount and also he had not signed the promissory note.

Q2. Read the following carefully and write judgement after framing necessary charges. [40]

The prosecution case is that on 11.6.2010 Shri Rajendra Patel, the father of student named Ashok Patel submitted his son's marksheet to use it for securing admission in the Medical College. The total marks shown in the marksheet were more than that which the student would have got even if he had secured cent-percent marks, which raised the suspicion of the Admission Scrutiny Committee, headed by Dr. D.S. Tomar. Moreover, the said marksheet purported to have been issued after revaluation, bore the same date and seal as that of the original marksheet. Dr. D.S. Tomar, therefore, lodged FIR against Shir Rajendra Patel in Shankar Nagar, Police Station, Raipur.

During investigation, necessary seizure was done. After completion of investigation, the police filed charge sheet against Shri Rajendra Patel. https://www.pyqonline.com

Defence Counsel raised the plea that the accused had not himself forged the marksheet and that he did not know that the marksheet was a forged one. It was also pleaded on his behalf that the alleged forgery had not actually been acted upon the, therefore, he cannot be held guilty of this offence.

https://www.pyqonline.com

Q.3 (अ) निम्नलिखित हिन्दी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए ।

Translate the following Hindi passage into English. **[10]**

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपराध-रहित समाज की परिकल्पना करना पूर्णत: निरर्थक है क्योंकि जीवन की जटिलताओं, बढ़ते हुए भौतिकवाद और शीघ्रातिशीघ्र धन-सम्पन्न बनने की महत्वाकांक्षा जैसे कारको के फलस्वरूप जनसाधारण में धीरे-धीरे नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है और वे निरंतर अपराध के मार्ग की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। आश्चर्य तो इस बात का है कि कानून का भय भी उन्हें अपने इस कुत्सित मार्ग से डिगा नहीं पाता। हालांकि वास्तविकता यह है कि समाज में ऐसे व्यक्यितों की संख्या अत्यंत अल्प होती है जो कि आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं लेकिन इस नगण्य संख्या के बावजूद ये थोड़े से व्यक्ति ही देश की संपूर्ण कानून व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती बन जाते हैं और देश की आपराधिक विधि का ध्यान इन्हीं व्यक्तियों के क्रियाकलापों को नियंत्रित व निवारित करने में लगा रहता है। तथापि ऐसा नहीं है कि यह समस्या भारत वर्ष मात्र में ही अपना अस्तित्व बनाए हुए हो, बल्कि यह एक विश्वव्यापी समस्या है जो प्रायः सभी देशों में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। यही कारण है कि प्रायः विश्व के सभी देशों की आपराधिक विधि - का प्रमुख उद्देश्य केवल यही रहता है कि कानून का अतिलंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित किया जाए और विश्व में सर्वत्र शांति की स्थापना के लिए प्रयास किये जाएँ ।

छत्तीसगढ़

व्यवहार न्यायाधीश

मुख्य परीक्षा वर्ष - 2016

समय : 3 घण्टे **पूर्णांक : 100**

निर्देश -

इस प्रश्न-पत्र में कुल तीन प्रश्न हैं। प्रश्न क्रंमाक 3 में दो अनुवाद हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्र॰ 1. निम्नलिखित का सावधानी से पठन करें तथा आवश्यक वादपत्र निर्मित करके निर्णय लिखें। [40]

आलोक जैन नामक एक व्यापारी ने दिनांक 1.1.2012 को रायपुर में सोहनलाल गुप्ता को 20,000/- रुपये का ऋण दिया। इसके बदले में सोहनलाग गुप्ता ने एक वचन - पत्र (प्रोनोट) निष्पादित किया। आलोक जैन रायपुर में रहता है तथा सोहनलाल गुप्ता बिलासपुर में रहता है। जब आलोक जैन ने दिनांक 1.10.2014 को एक पत्र लिखकर सोहनलाल गुप्ता से उक्त ऋण राशि की मांग की, तो सोहनलाल गुप्ता ने इसका उत्तर देते हुए आलोक जैन को आश्वासन दिया कि उक्त राशि उसे दो वर्ष के भीतर भुगतान कर दी जाएगी क्योंकि अभी वह अर्थिक तंगी में है। तत्पश्चात् आलोक जैन ने दिनांक 1.1.2016 को ऋण राशि की वसूली हेतू रायपुर के सिविल न्यायालय में वाद दायर किया। सोहनलाल गुप्ता ने यह दलील (अभिवाक्) प्रस्तुत की, कि रायपुर न्यायालय को इस वाद का विनिश्चित करने को क्षेत्रीय अधिकारिता प्राप्त नहीं है। सोहनलाल गुप्ता ने अपना लिखित कथन फाइल करते हुए इस मुद्दे को भी उठाया कि वाद, संव्यवहार के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् फाइल किया गया है, इसलिए यह काल - अक्रोधित है। अपने लिखित-कथन में उसने यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि उसने कोई धन राशि प्राप्त नहीं की है और उसने वचन-पत्र पर हस्ताक्षर भी नहीं किये हैं।

प्र॰2 निम्नलिखित का सावधानी से पठन करें तथा आवश्यक आरोप निर्मित करके निर्णय लिखें। [40]

अभियोजन का प्रकरण यह है कि दिनांक 11.6.2010 को श्री राजेन्द्र पटेल, जो अशोक पटेल नामक विद्यार्थी के पिता थे, द्वारा अपने पुत्र की कूटरचित मार्कशीट चिकित्सा महाविद्यालय में प्रस्तुत की गई ताकि उनके पुत्र को चिकित्सा महाविद्यालय में दाखिला मिल सके। इस मार्कशीट में दर्शाए गए कुल अंकों का योग उस संख्या से भी अधिक था जो किसी विद्यार्थी को शत-प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर योग-संख्या होती, जिसके कारण डॉ॰ डी॰ एस॰ तोमर की अध्यक्षता वाली प्रवेश-जांच समिति को उक्त मार्कशीट कूटरचित होने का संदेह हुआ। इसके अतिरिक्त, उक्त मार्कशीट जो पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् जारी की गई अभिप्रेत थी, पर वही दिनांक तथा सील अंकित थी जैसी की मूल मार्कशीट पर थी। अतः डॉ॰ डी॰ एस॰ तोमर ने शंकर नगर पुलिस थाना, रायपुर में श्री राजेन्द्र पटेल के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई।

प्रकरण के अन्वेषण के दौरान आवश्यक जब्ती की गई तथा अन्वेषण पूर्ण होने पश्चात् पुलिस ने श्री राजेन्द्र पटेल के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया।

बचाव पक्ष की ओर से यह दलील प्रस्तुत की गई कि अभियुक्त ने स्वयं मार्कशीट की कूटरचना नहीं की थी और न उसे उक्त मार्कशीट कूटरचित होने के बारे में ज्ञात था । उसकी ओर से यह दलील भी प्रस्तुत की गई कि कथित कूटरचना (जालसाजी) वास्तव में कार्यरूप में परिणित नहीं होने के कारण उसे इस अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। https://www.pyqonline.com

प्र॰3 (अ) निम्नलिखित हिन्दी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए ।

Translate the following Hindi passage into English. [10]

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपराध-रहित समाज की परिकल्पना करना पूर्णत: निरर्थक है क्योंकि जीवन की जटिलताओं, बढ़ते हुए भौतिकवाद और शीघ्रातिशीघ्र धन-सम्पन्न बनने की महत्वाकांक्षा जैसे कारको के फलस्वरूप जनसाधारण में धीरे-धीरे नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है और वे निरंतर अपराध के मार्ग की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। आश्चर्य तो इस बात का है कि कानून का भय भी उन्हें अपने इस कुत्सित मार्ग से डिगा नहीं पाता। हालांकि वास्तविकता यह है कि समाज में ऐसे व्यक्यितों की संख्या

https://www.pyqonline.com

अत्यंत अल्प होती है जो कि आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं लेकिन इस नगण्य संख्या के बावजूद ये थोड़े से व्यक्ति ही देश की संपूर्ण कानून व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती बन जाते हैं और देश की आपराधिक विधि का ध्यान इन्हीं व्यक्तियों के क्रियाकलापों को नियंत्रित व निवारित करने में लगा रहता है। तथापि ऐसा नहीं है कि यह समस्या भारत वर्ष मात्र में ही अपना अस्तित्व बनाए हुए हो, बल्कि यह एक विश्वव्यापी समस्या है जो प्रायः सभी देशों में किसी न किसी रूप में विद्यमान है। यही कारण है कि प्रायः विश्व के सभी देशों की आपराधिक विधि - का प्रमुख उद्देश्य केवल यही रहता है कि कानून का अतिलंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित किया जाए और विश्व में सर्वत्र शांति की स्थापना के लिए प्रयास किये जाएँ ।